न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 19/2022 — दायर दिनांक 06.02.2023
जीसीएमएस 2022/106 — निर्णय दिनांक 28.05.2025

1. श्री कालिया पिता गौतम मीणा निवासी भटवाडा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर
2. श्री तुलसीराम पिता श्री गौतम मीणा निवासी भटवाडा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर
3. श्री नाथू पिता श्री शंकर मीणा निवासी भटवाडा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर
4. श्री वेलजी पिता कानजी मीणा निवासी भटवाडा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर

– अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री अमर सिंह पिता श्री ईश्वर सिंह निवासी भटवाडा तहसील साबला जिला डूंगरपुर
2. श्री महेन्द्र पिता श्री ईश्वर सिंह निवासी भटवाडा तहसील साबला जिला डूंगरपुर
3. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साबला जिला डूंगरपुर

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बनाराजगी निर्णय तहसीलदार साबला जिला डूँगरपुर प्रकरण संख्या 1/2022 निर्णय दिनांक 19.10.2022

उपस्थित – 1. महेश जैन, अधिवक्ता – अपीलाण्ट
2. संजीव भटनागर, अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट सं 01 व 02
3. राजकीय पैरोकार तहसीलदार साबला – रेस्पोडेण्ट सं 03

–:निर्णयः– **दिनांक –28.05.2025**

1 .**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि** अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय स्थापित विधि एवं दस्तावेजों की विवेचना के उल्लंघन में किया जाने के कारण से निरस्त होने योग्य है। प्रकरण का निस्तारण

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

रेस्पोडेन्ट के पक्ष में करने तथा अपीलांट्स के साथ अन्याय करने में अधिनस्थ न्यायालय में इतनी जल्दबाजी दिखाई कि तथ्यों एवं कानून की विवेचना किये बिना अवैधानिक रूप से निर्णय पारित कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 एवं धारा 183 (ख) के प्रावधानो एवं मंशा के विपरीत उनकी उनदेखी कर प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जो कि पोषणीय नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को अपीलांट्स की कृषि भूमि से बेदखल कर कब्जा दिलाये जाने के आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अधिनस्थ न्यायालय ने केवल तकनीकी आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जो कि कानूनन अवैद्य है, इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि उक्त आराजी प्रार्थीगण का कब्जा होना सत्यापित नही होता है, अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 183 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की परिभाषा की अनदेखी की है, जबकि उक्त धारा की परिभाषा में ही अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि पर से गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को बेदखल कर कब्जा दिलाने का प्रावधान है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूँगरपुर के निर्णय दिनांक 09.07.77 को पुरा पढने का परिश्रम नही किया है जिसमे लिखा है कि यह स्पष्ट है कि उक्त क्रय की गई भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के विरूद्व है। विक्रेता अनुसूचित जनजाति का सदस्य और क्रेता सवर्ण है और इस प्रकार धारा 46 ए का उल्लंघन भी होता है। इस प्रकार का नामान्तरण ab initio void है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त करने में भारी भूल की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सुस्थापित सिद्वान्त पर ध्यान नहीं दिया कि प्रारंभ से ही अवैद्य एवं शून्य दस्तावेज के आधार पर किसी का स्वामित्व सिद्ध नही होता है और तत्कालिन तहसीलदार द्वारा रेफरेन्स नही किये जाने के कारण तथाकथित विक्रय पत्र वैद्य नही हो पाता है। उपखण्ड अधिकारी डूँगरपुर के प्रकरण संख्या 7/77 निर्णय दिनांक 09.07.0977 में वर्तमान अपीलांट पक्षकार नही थे और उक्त निर्णय से अपीलांट्स बाधित नही है। श्रीमति रतनकुंवर मृत होने से इस अपील में उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है और उनके विधिक प्रतिनिधि पूर्व से ही रेकार्ड पर है।

अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया जावे कि मौजा भटवाडा तहसील साबला का खसरा नम्बर 524 रकबा 0.2589 है0 भूमि पर से रेस्पोडेन्ट्स को अपीलांट्स की कृषि भूमि से बेदखल कर कब्जा दिलाये जाने के आदेश प्रदान किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में अपीलांट्स का नाम दर्ज किया जावे।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण की तलबी नोटिस जारी कर की गयी। रेस्पोडेण्ट सं. 01 व 02 कि ओर से अधिवक्ता संजीव भटनागर द्वारा वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 01 व 02 द्वारा पत्रावली में जवाब ना पेश कर सीधे बहस प्रस्तुत की।

3. हमने उभयपक्ष कि बहस सुनी।

4. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्थापित विधि एवं दस्तावेजों की विवेचना के उल्लंघन में किया जाने के कारण से निरस्त होने योग्य है। प्रकरण का निस्तारण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में करने तथा अपीलांट्स के साथ अन्याय करने में अधीनस्थ न्यायालय ने इतनी जल्दबाजी दिखाई कि तथ्यों एवं कानून की विवेचना किये बिना अवैधानिक रूप से निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 एवं धारा 183 (ख) के प्रावधानो एवं मंशा के विपरीत उनकी अनदेखी कर प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया, जो कि पोषणीय नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को अपीलांट्स की कृषि भूमि से बेदखल कर कब्जा दिलाये जाने के आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

बहस में आगे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल तकनीकी आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जो कि कानूनन अवैध है, इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि उक्त आराजी प्रार्थीगण का कब्जा होना सत्यापित नही होता है, अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 183 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की परिभाषा की अनदेखी की है, जबकि उक्त धारा की परिभाषा में ही अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि पर से गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को बेदखल कर कब्जा दिलाने का प्रावधान है।

बहस में आगे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूँगरपुर के निर्णय दिनांक 09.07.77 को पूरा पढने का परिश्रम नही किया है जिसमे लिखा है कि यह स्पष्ट है कि उक्त कय की गई भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के विरूद्व है। विकेता अनुसूचित जनजाति का सदस्य और केता सवर्ण है और इस प्रकार धारा 46 ए का उल्लंघन भी होता है। इस प्रकार का नामान्तरण ab initio void है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त करने में भारी भूल की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सुस्थापित सिद्वान्त पर ध्यान नहीं दिया कि प्रारंभ से ही अवैध एवं शून्य दस्तावेज के आधार पर किसी का स्वामित्व सिद्ध नही होता है और तत्कालीन तहसीलदार द्वारा रेफरेन्स प्रस्तुत नही किये जाने के कारण तथाकथित विकय पत्र वैध नही हो

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

पाता है। उपखण्ड अधिकारी डूँगरपुर के प्रकरण संख्या 7/77 निर्णय दिनांक 09.07.0977 में वर्तमान अपीलांट पक्षकार नही थे और उक्त निर्णय से अपीलांट्स बाधित नही है। श्रीमति रतनकुंवर मृत होने से इस अपील में उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है और उनके विधिक प्रतिनिधि पूर्व से ही रेकार्ड पर है।

अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया जावे कि मौजा भटवाडा तहसील साबला का खसरा नम्बर 524 रकबा 0.2589 है0 भूमि पर से रेस्पोडेन्ट्स को अपीलांट्स की कृषि भूमि से बेदखल कर कब्जा दिलाये जाने के आदेश प्रदान किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में अपीलांट्स का नाम दर्ज किया जावे।

4. रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साबला के प्रकरण संख्या 01/2022 निर्णय दिनांक 19.10.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की हैं। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा धारा 183 बी राजस्थान टे0 एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था। धारा 183 बी के अन्तर्गत बेदखली का दावा जमांबन्दी में दर्ज रिकॉर्ड खातेदार ही प्रस्तुत कर सकता हैं। जिस आराजी का बेदखली का दावा अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में लेकर आये थें वह जमाबन्दी रिकॉर्ड अनुसार खसरा न. 524 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा रेस्पोडेण्ट सं. 01 व 02 के नाम दर्ज हैं। अतः उपरोक्त बेदखली का दावा चलने योग्य नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया जो कि विधिसम्मत हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावें।

5. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड/दस्तावेज का ध्यायनपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साबला के प्रकरण संख्या 01/2022 निर्णय दिनांक 19.10.2022 धारा 183 बी राजस्थान टे0 एक्ट के विरूद्व प्रस्तुत की। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 524 रकबा 0.2589 है0 वर्तमान में अमरसिंह,महेन्द्रसिंह पिता ईश्वर सिंह, रतन कुंवर बेवा ईश्वर सिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी धारा 183 बी राजस्थान टे0 एक्ट अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने तथा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 524 रकबा 0.2589 है0 को स्वंय अपीलाण्ट के नाम राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद कराने बाबत निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा नहीं मानते हुए तथा वादग्रस्त आराजी के रिकोर्डेड खातेदार नहीं होने से प्रार्थना पत्र 183 बी को खारिज किया।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट के पूर्वज पूजीया पिता हीरा मीणा द्वारा अप्रार्थीगण के पिता ईश्वर सिंह पिता नाहरसिंह राजपूत को वादग्रस्त आराजी का बेचान किया गया । बेचान कर्ता अनुसूचित जनजाति तथा केता सवर्ण जाति से है। धारा–42 राजस्थान टे0 एक्ट का उल्लंघन है। लेकिन अपीलार्थी धारा–183 बी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को बेदखल कराना चाहते है, तथा राजस्व रिकोर्ड में स्वंय का नाम अमल दरामद कराना चाहते हैं।

पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार अप्रार्थीगण है, अतः रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व धारा 183–बी राज.टे. एक्ट का दावा पेश नहीं किया जा सकता। बिना रिकोर्डेड खातेदार के 183–बी राज.टे. एक्ट का दावा चलने योग्य नहीं है तथा न ही 183–बी राज.टे. एक्ट से किसी को खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता। तहसीलदार साबला द्वारा प्रकरण सं. 01/2022 में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2022 विधिसम्मत होने से हम इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझतें है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को खारिज किया जाकर तहसीलदार साबला द्वारा प्रकरण सं. 01/2022 में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2022 यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर